



## नई शिक्षा नीति : युवा की नई उम्मीद

Sushila, Assistant professor of Hindi

GCW Ateli, Mohindergarh, Haryana

भारत की नई शिक्षा नीति का विज्ञान युवा वर्ग के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना है कि उनमें अपने मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न हो सके।

नई शिक्षा नीति में प्राथमिक तौर पर मातृभाषा के प्रभाव को समायोजित एवं युवाओं की अभिव्यक्ति की क्षमता को मध्य नजर रखकर हिंदी भाषा के महत्व को सम्मिलित किया है। यह नीति हिंदी के प्रभुत्व को स्थापित करते हुए भविष्य में हिंदी युग की स्थापना का कारक बनेगा बेशर्त इस नीति को यदि ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन में नहीं लाया जाता है तो यह अपने पूर्व की नीतियों के समान महज दस्तावेज बनकर रह जाएगी। जैसा कि इतिहास के आइने में वर्धा शिक्षा योजना के साथ हुआ था जिसमें मातृभाषाओं के प्रयोग सहित कई ऐसे बिंदुओं को उठाया गया था जो सही से क्रियान्वित नहीं होने के कारण सिर्फ सुझाव व दस्तावेज मात्र बनकर रह गए। नई शिक्षा नीति-2020, 34 वर्षों बाद व्यापक स्तर पर भाषा के विकास के सवालों को उठाती है जो पूर्व में 1968 के कोठारी आयोग व 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुखर होकर नहीं उठाए गए थे। भारत सरकार द्वारा जारी यह शिक्षा नीति भारत की भावी शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्र के उन्नयन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली नीति है ऐसे में आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इससे न केवल हमारी भाषाएँ समृद्ध होगी बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भी भाषाई बंधनों से आजाद होकर अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ज्ञान के नए रास्तों को तलाश कर पाएंगी व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई



बदलाव किए जाने के प्रस्ताव हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास तथा उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है।

नई शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषाओं को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है। इस नीति के अंतर्गत राजभाषा आयोग 1955 की सिफारिशों में से एक भारतीय भाषाओं के ज्ञान और सीखने की सिफारिश को शामिल किया गया है। हिंदी के साथ साथ भारतीय-भाषाओं का भी महत्व बने और अंग्रेजी का आधिपत्य समाप्त हो यही इसका मूल उद्देश्य है। यह सच है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक उसकी जमीन अर्थात् उसका जन मजबूत नहीं होता है। हमारी मातृ भाषाएं इसी बड़े व व्यापक जन समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब यह जन समूह मजबूत होगा तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिंदी भाषा स्वतः मजबूत होगी। हिंदी का शब्द भण्डार : अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय बोलियों व भारतीय भाषाओं के शब्द ऐसे में, भंडार से निर्मित है- बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी विशेषता है। छोटे बच्चे घर में बोले जाने वाली मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जल्दी सीखते हैं, यदि स्कूल में भी मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वे जल्दी सीख पाएंगे और उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसके साथ ही शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने का एक मूल उद्देश्य उन्हें मजबूत बनाना भी है। शिक्षा में स्थानीय भाषा शामिल करने से लुप्त हो रही बोलियों को नया जीवन मिलने के साथ साथ- बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने में मदद मिलेगी जिससे हमारी संस्कृति को भी बचाया जा सकता है।

आधुनिक काल के कवि एवं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने निज भाषा का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज-भाषा ज्ञान के, मिटत ना हिय को सूल।' अर्थात् मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। अपनी भाषा में ही व्यक्ति अपने मन के विचार अच्छे से व्यक्त कर सकता है। अपनी भाषा- अपनी माटी की महक एवं आत्मीयता का अपना एक अलग ही वैशिष्ट्य होता है जो जुड़ाव,



आकर्षण और स्नेह हम अपनी भाषा, अपनी माटी से पाते हैं वह अन्य किसी से भी महसूस नहीं कर पाते ।

हिंदी युग का आरंभ तभी माना जाएगा , जब बाजार हिंदी भाषा सहित भारतीय भाषाओं को अपनाएगा । जब अपनी मातृभाषा भाषा को स्थानीय बाजार अपना लेगा तो सांस्कृतिक ढांचा भी सुरक्षित रहेगा और भाषा का महत्व भी स्थापित होगा । गांधीजी ने सटीक कहा था कि व्यक्ति का मौलिक चिन्तन हमेशा मातृभाषा में होता है लेकिन अंग्रेजी भाषा का दबाव नई पीढ़ी को आज प्रताड़ित कर रहा है फिर भी आजादी के बाद भी मातृभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उत्थान का सपना देखा गया था लेकिन दस्तावेजों एवं सरकारी दफ्तरों की दराजों में ही दबा रह गया है । अब नई शिक्षा नीति से ही युवा वर्ग को एक आस नजर आ रही है तथा यही वर्ग है जो इस शिक्षा नीति को अमल में लाने को बेताब है ।

महात्मा गाँधी जी ने मातृभाषा को जन-संवाद व संप्रेषण की भाषा मानते हुए कहा है कि “मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों न हो ? मैं इससे इसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से । यही मुझे जीवनदायनी दूध दे सकती है । अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा । वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों, करोड़ों की नहीं ।” यह हमारी शिक्षा व भाषा नीति की विफलता ही है कि एक ओर तो आजादी का उत्सव मना रहे हैं वहीं दूसरी ओर आजादी के इतने वर्षों के उपरांत भी हम ज्ञान-विज्ञान के पाठ्यक्रमों को हिंदी , मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं । यह हमारे देश की विडंबना या दुर्भाग्य ही है कि आज भी अदालतों से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक विदेशी भाषा का प्रयोग किया जाता है । हम आजाद तो हो गए लेकिन आज भी भाषाई गुलामी में जी रहे हैं और हमारे देश का युवा अपनी ही भाषा के प्रति हीनता बोध से ग्रसित है । भाषा की इसी दुरुहता के कारण हमारी बहुत सी प्रतिभाओं को सामने आने का मौका नहीं मिल पा रहा है और बहुत



सी प्रतिभाएं दुखी होकर अंततः अपने आप को न चाहते हुए भी काल का गास बना लेती हैं। हमारे ही देश में गांव, कस्बों व शहरों तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अभाव के कारण विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से वंचित कर दिया है। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो विद्यालय तक विज्ञान की शिक्षा हिंदी में लेने वाला छात्र, उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अंग्रेजी पाठ्यक्रम व अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता तथा हिंदी भाषा में पाठ्यपुस्तकों में अभाव के कारण विज्ञान व तकनीकी पाठ्यक्रमों से दूरी बना लेता है। हालांकि भाषा को युवा ही बढ़ा पाते हैं। युवाओं ने अपनी पढ़ाई के लिए भले अंग्रेजी माध्यम को चुना हो मगर तमाम दबावों के बीच भी वे हिंदी या अपनी मातृभाषा को ही अपनी बातचीत का माध्यम बनाते रहे, क्योंकि विचार प्रकट करने में सहजता उसी भाषा या बोली में ही महसूस करते हैं।

भाषा के इस आधुनिकीकरण के दौर के कारण हमारी नई पीढ़ी असमंजसपूर्ण स्थिति से जूझ रही है। वह न तो परंपरा से पोषण पा रही है और न ही उसमें पश्चिम की सांस्कृतिक विशेषताएं पूर्ण रूप से नजर आ रही हैं। मातृभाषा में शिक्षण के साथ अनेक अन्य आवश्यकताएं भी हैं जो हर भारतीय को भारत से जोड़ने और विश्व को समझने में सक्षम होने के लिए आवश्यक हैं। मातृभाषा का इसमें अप्रतिम महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में शैक्षणिक दृष्टिकोण से आवश्यक बदलाव लाना आज की परिस्थिति में सबसे सराहनीय और महत्त्वपूर्ण कदम होगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंदी का पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं बाजार आधारित शिक्षा व्यवस्था की अनुपालना अनिवार्यतः होनी चाहिए, इसी के सहारे भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। वास्तव में अब अपनी भाषा के महत्त्व को समझना हर एक भारतीय के लिए आवश्यक हो गया है। सही अर्थों में कहा जाए तो अगर हम अब भी अपनी मूलभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करें तो निश्चित ही विविधता वाले भारत को अपनी हिंदी भाषा के माध्यम से एकता में जोड़ा जा सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षण कराना ही काफी नहीं है बल्कि मातृभाषा की



विशिष्टता को बचाने के लिए इसे प्रोत्साहित करना भी अतिआवश्यक है। मातृभाषा को हम अपनी धरोहर का दर्जा दे सकते हैं और धरोहर की रक्षा करना एवं इसे बचाये रखना हमारा परम कर्तव्य है। महात्मा गांधी जी स्वयं मातृभाषा में बाल-शिक्षण के पक्षधर रहे हैं, अगर उस समय इस तरह की मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति बना दी गई होती तो आज भारतीयों के साथ-साथ हमारी संस्कृति का स्थान सर्वोपरि होता और कोई दूसरी भाषा आकर हमारे यहाँ बाजार नहीं बना पाती। कबीर ने भी “संसकीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर।” कहकर भाषिक रूपों के सामर्थ्य की ओर संकेत किया है।

गांधीजी ने विदेशी भाषा के संबंध में कहा था कि “विदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टु बनाया है, वे सृजन के लायक नहीं रहे, विदेशी भाषाओं ने देशी भाषा के विकास को बाधित किया है।” आधुनिकीकरण के दौर में भारत में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि युवा वर्ग, बच्चे एवं उनके माता-पिता का रुझान भी अंग्रेजी भाषा की तरफ ज़्यादा तथा हिंदी भाषा की तरफ कम है। इसका मूल कारण अंग्रेजी में रोजगार के अवसर हिंदी की बजाय ज़्यादा उपलब्ध करवाना। यही विदेशी भाषा का अपना बाजार है जिसकी वजह से वो यहाँ अपने हाथ-पाँव फैलाए बैठी है। हिंदी युग का प्रारंभ तभी माना जाएगा, जब बाजार हिंदी भाषा सहित भारतीय भाषाओं को अपनाएगा। भाषा को जब तक बाजार अपनाता नहीं तब तक भाषा का विकास खोखला है।

एनईपी 2020 मूल रूप से प्रत्येक छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यदि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा इसे स्पष्ट रूप से लागू किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का विकास करेगा जैसा कि सभी को उम्मीद है। विश्वासपात्र, ऊर्जावान, हर्षित, प्रतिबद्ध, अनुसंधान और नवाचार उन्मुख, बहु प्रतिभाशाली युवा हमारे महान राष्ट्र-का गौरव वापस लाएंगे। हम न केवल आर्थिक रूप से बल्कि खेल, नवाचार, अंतरिक्ष अनुसंधान,



सामाजिक स्वास्थ्य, रक्षा, विभिन्न आयामों पर दुनिया को शिक्षित करने, पर्यावरण संरक्षण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन एक राष्ट्रीय मिशन और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार और सरकारी प्राधिकरण, प्रबंधन टीम, शिक्षक, मातापिता-, छात्र और समाज के हर वर्ग को हाथ मिलाना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों और हमारे महान राष्ट्र के भविष्य को पुनर्जीवित करने के लिए इसे लागू करने की दिशा में सुसंगत रूप से काम करना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता में भारतीय शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था लेकिन समय बीतने के साथ-साथ विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भारतीय शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता गया है तथा विदेशी शिक्षा एवं भाषा अपना बाजार, अपनी आँखों के सामने ही अपनी ही माटी पर फैलाए जा रही है। इस धन प्रधान दुनिया में मनुष्य मात्र धन के पीछे लगा हुआ है और शिक्षा की वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। मानव मात्र रोजगार की दृष्टि से शिक्षा अर्जित करता है। नई शिक्षा नीति कुछ नई उम्मीद प्रदान करती है परंतु जब तक किसी भी नीति पर कानून नहीं लाया जाता तब तक उसके असफल होने की प्रबल संभावना होती है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. बेव साईट- [www.tv9hindi.com](http://www.tv9hindi.com)
2. पंत, सुमित्रा नंदन, लोकायतन

शोध पत्र –

1. नई शिक्षा नीति और हिंदी : अंग्रेजी पर निर्भरता कम होने और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से आएगी भाषा की समृद्धि - भावना मासीवाल (सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मनीला, उत्तराखंड )
2. नई शिक्षा नीति और हिंदी भाषा की उपयोगिता - डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'